प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार–V
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद–बिजनौर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद–बिजनौर।

विषय– <u>कार्य वितरण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न्यायिक अधिकारीगण के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–2, बिजनौर, न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–4, बिजनौर एवं न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–2, नगीना, बिजनौर रिक्त हो गयी है। इसके अलावा श्रीमती साधना–सिविल जज जू0डि0 (एफ0टी0सी0), कक्ष संख्या–01, बिजनौर दीर्घ समयावधि के लिए मातृत्व अवकाश पर है। अतः उक्त न्यायालयों के रिक्त होने पर उक्त रिक्त न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक वादों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु, पूर्व में पारित कार्य वितरण आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, माननीय महोदय की संस्तुति के उपरान्त निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है :–

1. <u>न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–2, बिजनौर।</u>

उक्त न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–2, बिजनौर में लम्बित धारा 138 एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित समस्त वादों को उक्त न्यायालय से वापस लेते हुए, अग्रिम आदेश तक, विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु धारा 138 एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित नई संचालित/गठित अतिरिक्त न्यायालय, बिजनौर में अन्तरित किया जाता है।

इसके अलावा थाना **हीमपुर दीपा** से सम्बन्धित एवं अन्य समस्त पुलिस चालानी वादों, परिवादों एवं दाण्डिक प्रकीर्ण वादों की विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार (उन मामलों को छोड़कर जिनका विशेष क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य न्यायालय में निहित है) न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–2, बिजनौर से वापस लेते हुए, अग्रिम आदेश तक, न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, कक्ष सं0–01, बिजनौर को प्रदत्त किया जाता है।

2. <u>न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–4, बिजनौर।</u>

न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–4, बिजनौर में लम्बित समस्त दण्डवादों, परिवादों एवं दाण्डिक प्रकीर्ण वादों को उक्त न्यायालय से वापस लेते हुए, अग्रिम आदेश तक, विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–8, बिजनौर में अन्तरित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

3. **न्यायालय सिविल जज जू0डि0 (एफ0टी0सी0)/जे0एम0, कक्ष सं0–1, बिजनौर।**

न्यायालय सिविल जज जू0डि0 (एफ0टी0सी0)/जे0एम0, कक्ष सं0–1, बिजनौर में लम्बित समस्त दण्डवादों, परिवादों एवं दाण्डिक प्रकीर्ण वादों को उक्त न्यायालय से वापस लेते हुए, अग्रिम आदेश तक, विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज जू0डि0 (एफ0टी0सी0)/जे0एम0, कक्ष सं0–2, बिजनौर में अन्तरित किया जाता है।

4. **न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–02, नगीना, बिजनौर।**

थाना **कोतवाली देहात एवं बढ़ापुर** से सम्बन्धित एवं अन्य समस्त पुलिस चालानी वादों, परिवादों, दाण्डिक प्रकीर्ण वादों एवं अन्य समस्त दण्डवादों की विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार (उन मामलों को छोड़कर जिनका विशेष क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य न्यायालय में निहित है) न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या–2, नगीना, बिजनौर से वापस लेते हुए, अग्रिम आदेश तक, न्यायालय सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगीना, बिजनौर को प्रदत्त किया जाता है।

उक्त आदेश के अविलम्ब अनुपालन हेतु सम्बन्धित न्यायालय सूचित हो।

उक्त कार्य वितरण व्यवस्था अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

31/01/26.

(नरेन्द्र कुमार–V)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद–बिजनौर।

दिनाक–31.01.2026

अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश
बिजनौर।

प्रतिलिपि–

1. सम्बन्धित न्यायालय।
2. अध्यक्ष/सचिव, सम्बन्धित बार एसोसिएशन।

Scanned with CamScanner